

U62  
2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0  
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

शुद्ध गौडजी  
श्रीमान जी, पत्नार हल्का शुद्ध गौडजी  
श्रीशपाल पुत्र रामकुमार  
श्रीशपाल पुत्र रामकुमार  
1078 में शीशपाल पुत्र रामकुमार  
जलत दूज हो गया है  
शीशपाल पुत्र रामकुमार  
लान्ड रिकॉर्ड के आधार पर श्रीशपाल का नाम  
दिया जाना उचित है

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

दिनांक :- 25/10/2021  
25-10-21  
प.स.प.स.प.

क्रमांक :- राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशा का जाती है /नहीं की जाती है।

25/10/21  
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

आदेश :-

दिनांक :- 25/10/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दस्तावेज के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	गुढागौडजी	2015-78	1078	शीशपाल पुत्र रामकुमार	शीशपाल पुत्र रामकुमार

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

248-  
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी  
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)  
दिनांक :- 25/10/2021

क्रमांक :- राजस्व/2020/309-310  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।

248-  
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी  
उदयपुरवाटी (झुंझुनूं)